02-03-2020

ग्रेनो में मेट्रो ट्रैक के दोनों ओर एक किमी तक प्रॉपर्टी महंगी

अथॉरिटी ने 4 जोन में बांटकर सेक्टरों की लिस्ट जारी की

■ विशेष संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

ग्रेनो अथॉरिटी एरिया में मेट्रो ट्रैक के दोनों ओर एक किमी तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए गए हैं। अथॉरिटी ने यहां की प्रॉपर्टी के रेट 10 पर्सेंट बढ़ाए हैं। अन्य सेक्टरों की अपेक्षा यहां पर ट्रांसफर चार्ज भी 2 पर्सेंट ज्यादा चुकाना होगा। हर सेक्टर की आवासीय और अन्य कैटिगरी की प्रस्तावित दरें अथॉरिटी ने जारी की हैं। सेक्टरों को 4 जोन में बांटा गया है। बढ़ी हुईं दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। अथॉरिटी ने शनिवार देर शाम यह लिस्ट जारी की। विभाग की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी अपलोड की गई है।

अभी शहर में 1155 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रांसफर चार्ज लिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर होता है। मेट्रो लाइन के एक-एक किमी के क्षेत्र तक ट्रांसफर चार्ज 2 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा। इस तरह मेट्रो लाइन के पास रहने या कारोबार के लिए अधिक रकम चुकानी होगी। मेट्रो के कारण प्रभावित होने वाले सेक्टर नॉलेज पार्क-2, तुगलपुर, एनआरआई सिटी, बिल्डर्स एरिया के कुछ सेक्टर, अल्फा-1, अल्फा-2, डेल्टा-1, नॉलेज पार्क-4, जेपी ग्रींस, सेक्टर-20 और नवादा आदि शामिल हैं।

Photo: Vivek

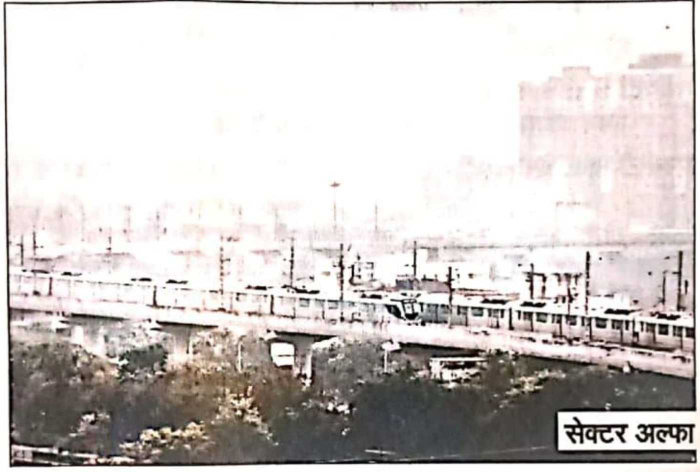

सेक्टर अल्फा

फैसला

- प्रॉपर्टी के रेट 10 पर्सेंट बढ़े, ट्रांसफर चार्ज 2 पर्सेंट अतिरिक्त लगेगा
- ग्रेनो अथॉरिटी ने जारी की दरें, 1 अप्रैल से होंगी लागू

स्पोर्ट्स सिटी की दरों पर फैसला नहीं

स्पोर्ट्स सिटी की दरों को लेकर अभी फैसला नहीं हो सका है। अधिकारियों ने तय किया है कि वे सेक्टरों में जाकर संबंधित प्लॉट की लोकेशन देखेंगे। उसके बाद वहां की स्थिति के अनुसार दरें तय की जाएंगी।

जोन-ए है सबसे महंगा

शहर को अलग-अलग जोन में बांटकर ग्रेनो अथॉरिटी ने आवंटन दरें बढ़ाईं थीं। शहर के मुख्य सेक्टरों में अल्फा-1, 2, गामा-1, 2, बीटा-1, 2, डेल्टा-1, 2, 3 और स्वर्ण नगरी को अथॉरिटी ने जोन-ए में रखा है। आवासीय संपत्ति के लिए यहां की दरें शहर में सबसे अधिक यानि 32 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई हैं। जोन-बी में 30 हजार, सी में 26 हजार और डी में 23 हजार 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दरें तय की गई हैं। बिल्डर्स के लिए जोन-ए में 33 हजार, बी में 32 हजार, सी में 31 हजार और डी में 28 हजार 230 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर तय हुई हैं।

जोन डी में सबसे कम ₹23,100 प्रति वर्ग मीटर रेट

जोन बी में होंगे ये सेक्टर

जोन बी के लिए आवंटन दरें 30 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। इस जोन में ओमेगा-1, 2, 3, चाई-1, 2, 3, 4, 5, चाई-फाई एक्सटेंशन, पी-1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, पाई-1, 2, फाई-1, 2, 3, 4, फाई-फाई, सेक्टर-36 और सेक्टर-37 शामिल हैं।

जोन सी में ये इलाके

जोन सी के लिए आवंटन दरें 26 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई हैं। इस जोन में ईटा-1, 2, ओमीक्रॉन-1, 1ए, 2, 3, ज्यू-1, 2, 3, जीटा-1, 2, म्यू-1, 2, सिग्मा-1, 2, 3, पीएसआई, सेक्टर-2 और सेक्टर-3 शामिल किए गए हैं।

जोन डी में इन्हें किया शामिल

जोन डी में आवंटन दरें 23 हजार 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई हैं। इस जोन में आर-4, आर-6, सेक्टर-1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 16बी, 16सी, 17, 17ए, 17बी, 20, 27, टेकजोन और सेक्टर डब्ल्यू-5 को शामिल किया गया है।

ग्रेनो में मेट्रो ट्रैक के दोनों तरफ प्रॉपर्टी महंगी

■ विस, ग्रेटर नोएडाः अथॉरिटी एरिया में मेट्रो ट्रैक के दोनों ओर प्रॉपर्टी के रेट 10 पर्सेंट बढ़ाए गए हैं। अन्य सेक्टरों की अपेक्षा यहां पर ट्रांसफर चार्ज भी दो पर्सेंट ज्यादा चुकाना होगा। मेट्रो के कारण प्रभावित होने वाले सेक्टर नॉलेज पार्क-2, तुगलपुर, एनआरआई सिटी, बिल्डर्स एरिया के कुछ सेक्टर, अल्फा-1, अल्फा-2, डेल्टा-1, नॉलेज पार्क-4, जेपी ग्रींस, सेक्टर-20 और नवादा आदि शामिल हैं। हर सेक्टर की आवासीय और अन्य श्रेणी की प्रस्तावित दरें अथॉरिटी ने जारी की हैं। सेक्टरों को 4 जोन में बांटा गया है। बढ़ी हुईं दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। ▸▸ नोएडा टाइम्स